

कार्यालय जिला परिषद, उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-एफ 2()जिपउ/संस्था/VDO/2018-19/677

दिनांक :- 19/11/18

आवंटन आदेश

पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 28(परावि/ प्रशा-2/ सत्यापन/ पार्ट/2018/4455 दिनांक 03-11-2018 के अन्तर्गत **NON-TSP** क्षेत्र के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/ पदस्थापन बाबत प्राप्त पत्र अनुसार राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ग्राम सेवक सीधी भर्ती 2016 मे ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद हेतु सफल रहे अभ्यर्थियों को राजस्थान पंचायती राज नियम 277 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप निर्धारित योग्यता, आयु एवं पात्रता की नियुक्ति अधिकारी द्वारा सत्यापन एवं स्पष्ट पद रिक्त होने की शर्त पर ही प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप मे नियुक्ति करने हेतु एतद्द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को आवंटित किया जाता है।

संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु आवंटित पंचायत समिति में सभी शैक्षणिक एवं पात्रता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों, दो राजपत्रित अधिकारियों से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल ज्युरिस्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, विवाहित की स्थिति में दिनांक 01-06-2002 को एवं उसके बाद दो से अधिक सन्तान नही होने संबंधी शपथ पत्र इत्यादि के साथ यह आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस मे उपस्थित होंगे। निर्धारित अवधि मे उपस्थित नही होने पर नियमानुसार नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। किसी भी समय यह साबित होने पर की इनके द्वारा गलत सूचना दी गई है अथवा तथ्यों को छिपाया गया है अथवा राजकीय सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अनुशासनहीनता करने पर इनकी सेवाओं को तत्काल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।

संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति स्तर पर नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व समस्त दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन एवं इस हेतु जो भी जांच आवश्यक हो, करेंगे एवं आवश्यक शपथ पत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप मे 2 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्ति हेतु जारी वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15 (1) एफडी (रूल्स)/2017 जयपुर दिनांक 30-10-2017 के प्रावधानों अनुसार संबंधित पद हेतु निर्धारित प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) पर नियुक्ति संबंधी राज्य सरकार व पंचायती राज विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों व दिशा निर्देशों एवं दिनांक 01-01-2004 से नई भर्ती/नियुक्ति होने वाले नए राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होने संबंधी निर्देशों का भली-भांति पालन करते हुये नियुक्ति आदेश जारी करेंगे व इसका उल्लेख नियुक्ति आदेश में भी

किया जाना सुनिश्चित करेगे। दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पद पर सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही जावें। नियुक्ति आदेश में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पता, जन्म, दिनांक प्रवर्ग इत्यादि का स्पष्ट अंकन किया जाएगा।

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव सीधी भर्ती 2016 में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का चयन एवं पदस्थापन याचिका संख्या एस.बी.सिविल रिट पीटीशन सं. 8982/2017, याचिका संख्या एस.बी.सिविल रिट पीटीशन सं. 10296/2017, एस.बी.सिविल रिट पीटीशन सं. 9696/2017 के अध्यक्षीन रहेगा। इस आशय का नोट इनकी नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया जावें।

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NTSP) में चयनित अभ्यर्थियों को पंचायत समिति आवंटन की सूची निम्नानुसार है :-

NON-TSP

क्र. स.	रोल नम्बर	मेरिट न.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	चयनित वर्ग	आवंटित पंचायत समिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	491681	2057	श्री चेतन मेनारिया	श्री मांगीलाल मेनारिया	पुरुष	सामान्य	बडगांव
2	193972	2148	श्री भानु प्रताप सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	पुरुष	सामान्य	मावली
3	380081	2248	श्री शर्मा आलोक कुमार लक्ष्मीकान्त	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा	पुरुष	सामान्य	बडगांव
4	500366	2378	श्री राकेश सिरवी	श्री गोपाराम सिरवी	पुरुष	सामान्य	बडगांव
5	493205	2414	श्री नगेन्द्र सिंह चुण्डावत	श्री भंवर सिंह चुण्डावत	पुरुष	सामान्य	भीण्डर
6	248081	2504	श्री पृथ्वी सिंह राजपूत	श्री हेम सिंह राजपूत	पुरुष	सामान्य	मावली
7	379306	2563	श्री सचिन कुमार यादव	श्री जगदीश प्रसाद यादव	पुरुष	सामान्य	सायरा
8	240648	2571	श्री राकेश कुमार यादव	श्री हनुमान सहाय	पुरुष	सामान्य	मावली
9	280915	2572	श्री बालकृष्ण शर्मा	श्री सत्यनारायण शर्मा	पुरुष	सामान्य	मावली
10	361570	2604	श्री विशेष कुमार	श्री लक्ष्मी नारायण	पुरुष	सामान्य	बडगांव
11	154433	2647	श्री मनीष कुमार उपाध्याय	श्री हरि शंकर शर्मा	पुरुष	सामान्य	बडगांव
12	388294	2715	श्री किशन गोपाल कुमावत	श्री श्रवण कुमार कुमावत	पुरुष	सामान्य	मावली
13	330551	2756	श्री नरेश कुमार	श्री रामेश्वर लाल	पुरुष	सामान्य	भीण्डर
14	263298	2776	श्री मनोज कुमार	श्री रामेश्वर लाल	पुरुष	सामान्य	मावली
15	294423	2791	श्री राहुल गंगावत	श्री विष्णु अवतार शर्मा	पुरुष	सामान्य	भीण्डर
16	258905	2793	श्री केशव कुमार	श्री सतनाम	पुरुष	सामान्य	भीण्डर
17	259445	2795	श्री सुभाष चन्द्र	श्री रामलाल	पुरुष	सामान्य	भीण्डर
18	188851	2803	श्री मोहियुद्दीन शरीफ	श्री मोहम्मद सदीक	पुरुष	सामान्य	सायरा
19	171167	2809	श्री मनीष कुमार	श्री सुरेश कुमार	पुरुष	सामान्य	भीण्डर
20	182525	2810	श्री मनीष कुमार शर्मा	श्री जगदीश कुमार शर्मा	पुरुष	सामान्य	भीण्डर
21	151020	2826	श्री नितिन कुमार सिंघल	श्री रामस्वरूप सिंघल	पुरुष	सामान्य	मावली
22	125697	2856	श्री रतन लाल माली	श्री जीवन राम माली	पुरुष	सामान्य	भीण्डर
23	332774	2880	श्री सुनील कुमावत	श्री रामकरण कुमावत	पुरुष	सामान्य	भीण्डर
24	362468	2891	श्री रवि कुमार,	श्री योगेन्द्र	पुरुष	सामान्य	भीण्डर
25	286960	2902	श्री महेन्द्र कुमार गुर्जर	श्री रामचन्द्र गुर्जर	पुरुष	सामान्य	भीण्डर
26	498415	10280	श्री निरज दास कामड	श्री चम्पादास कामड	पुरुष	अजा	भीण्डर

क्र. स.	रोल नम्बर	मेरिट न.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	चयनित वर्ग	आवंटित पंचायत समिति
1	2	3	4	5	6	7	8
27	499358	11218	श्री कमलेश सालवी	श्री भैरूलाल सालवी	पुरुष	अजा	बडगांव
28	106565	11446	श्री भरतेन्द्र वर्मा	श्री रामलाल वर्मा	पुरुष	अजा	सायरा
29	107866	11842	श्री लोकेश कुमार किराड	श्री राम प्रसाद किराड	पुरुष	अजा	बडगांव
30	171968	11177	श्री लोकेश कुमार मीणा	श्री गंगाराम मीणा	पुरुष	अजजा	सायरा
31	515142	11793	श्री राजेश कुमार मीणा	श्री किशन लाल मीणा	पुरुष	अजजा	सायरा

(कमर चौधरी)

I.A.S.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, उदयपुर

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, उदयपुर।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, महोदय,
4. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
5. उप निदेशक, DOIT, उदयपुर को udaipur.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति..... को संबंधित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र संलग्न कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं पात्रता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों, दो राजपत्रित अधिकारियों से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल ज्युरिस्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, इत्यादि की जाँच कर पूर्णतः पात्र पाये जाने व स्पष्ट रिक्त पद होने की स्थिति में 10 दिवस में नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही करे। विधानसभा आम चुनाव-2018 के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना के संदर्भ में निर्वाचन आयोग से निम्नानुसार सशर्त अनुमति प्रदान की गई है :-
"The Commission has no objection in the matter from model code of conduct angle with the condition that issue of appointment & Promotion order to be done official level only without involvement of any political person."
निर्वाचन आयोग की शर्त की अक्षरतः पालना करते हुए नियुक्ति की कार्यवाही सम्पादित की जावे।
6. संबंधित श्री..... को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों, शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों के साथ आवंटित पंचायत समिति में 10 दिवस में नियुक्ति हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, उदयपुर